FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0322 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 05/12/2025 18:13 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 30/11/2025 **Date To (दिनांक तक):** 01/12/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 16:30 बजे **Time To (समय तक):** 13:25 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/12/2025 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 05/12/2025 18:13:22 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 520 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KARALYA VANPALVANNAKA KATARWAS, RANGE KHERWARA UDAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): VALCHAND TELI

(b) Father's Name (पिता का नाम): DALCHAND TELI

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1990

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BICHHIWARA, JHADOL, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BICHHIWARA, JHADOL, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MAHESH KUMAR MEENA		पिता:LAKSHMAN LAL MEENA	1. PARAI,SARADA,PARSAD, सलूम्बर,RAJASTHAN,INDIA
2	VIJESH KUMAR AHARI AND OTHERS		पिता:VARADICHAND AHARI	1. MODIWASA,NAYAGAON,UDAIF

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		80,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 80,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी,वाक्यात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 30.11.2025 को समय 04.30 पी.एम. पर परिवादी श्री वालचन्द तेली पिता श्री डाल चन्द तेली उम्र 35 वर्ष निवासी बिछीवाडा तहसील झाडोल जिला उदयपुर ने उपस्थित चोकी होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की मन पुलिस निरीक्षक को पेश की कि "उपरोक्त विषय मे मुज प्राप्त वालचन्द/डालू तेली उम्र 35 वर्ष निवासि बिछीवाडा त. झाडोल जिला उदयपुर का निवेदन इस प्रकार है कि मे और धरमचन्द/गणेश जी पारगी निवासी झाडोल दोनो पाटनर सिप लकडी का वेपार करते है दिनांक 29/11/2025 को मेने फलासिया से ट्रक नम्बर GJ 09 AU 1283 मे निलगिरी व सेम्रल की लकडी भराई ट्रक चालक महेन्द्र मेघवाल मेरे गांव का ही है उसे पाबन्द किया कि ट्रक सुबह यहा से ले जाकर खेरवाडा भेरूभाई सुथार के यहा पहुँचाना है मेरे पाटनर धरमचन्द ने दुसरी गाडी नम्बर RJ 27 GB 4806 को झाडोल से निलगिरी की लकडी भरी जिसको पाबन्द किया कि दोनो गाडिया एक साथ सुबह खेरवाडा भैरूलालजी सुथार के पास ले जाकर खाली करवाना बिल वही का है। दिनांक 30/11/2025 की सुबह 8 बजे सूचना मिली की दोनो गाडी वन विभाग नाका कानपुर वाले ने पकड ली है जिस पर मै वहा गया तो मालुम हुआ कि सुबह उनालीबोर गांव के पास वन विभाग के गार्ड महेश मिला, रतन, विजेश, पन्नालाल चारो वर्दी मे होकर हमारी दोनो ट्रक लकडी से भरी हुई ले जाकर कातवास विन विभाग नके पर खडी करा दी है। मेने मेरे पाटनर धरमचन्द से पुछा ये ट्रके के छोडने के क्या मग रहे है जिस पर धरमचन्द ने कहा इन्हेने ट्रके खडी करा दी है और गार्ड महेश 1 लाख रूपये लेने की मांग कर रहा है जिस पर धरमचद और ड्रायवर के मेरे साथ लेकर आ गया। मै और मेरा पाटनर धरमचन्द लकडी का धंधा करते है नियम अनुसार बिल, बिल्टी कराते है फिर भी ये आये दिन परेशान करते है गार्ड महेश व उसके साथियो ने पहले भी पैसे ले लिये है और फिर हमारी लकडी की गाडी छोडी है, इस बार मे रिषवत राशि नही देना चाहता हुं रंगे हाथो रिशवत लेते हुए पकडवाना चाहता हुं मेरे महेश, रतन, विजेश, पन्नालाल से मेरी कोई उदारी या लेन-देन बाकी नही है।" जिस पर परिवादी श्री वालचन्द तेली ने दरियाफ्त पर बताया की पहले भी मेरी लकडी से भरी ट्रक को पकड कर इन्होने मुझसे अवैध पैसे लिये है। जिस पर परिवादी से उसके आधार कार्ड व ड्राईविंग लाइसेंस की छाया प्रति प्राप्त की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं दरियाफ्त पर परिवादी से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस उप अधीक्षक सर प्रभारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर को जरिये मोबाईल सम्पूर्ण हालात अर्ज किये गये। तत्पश्चात कार्यालय के कानि0 श्री महेशचन्द्र नं0 394 को मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री वालचन्द तेली और कानि0 श्री महेशचन्द्र का आपस में परिचय कराया गया। परिवादी श्री वालचन्द तेली को रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन बाबत् अवगत कराया गया तो परिवादी श्री वालचन्द तेली ने बताया की अभी श्री महेश जी, श्री रतन, श्री विजेश जी, श्री पन्नालाल जी कार्यालय वनपाल वन नाका कातरवास पर मिल सकते है तथा मेरा पार्टनर श्री धरमचन्द खैरावाडा मिल जायेगा हम दोनो साथ मे कार्यालय वनपाल वन नाका कातरवास पर जाये तो अभी उनसे रिश्वत राशि के सम्बंध में बातचीत हो सकती है। जिस पर परिवादी श्री वालचन्द तेली व कानि0 श्री महेशचन्द्र के मोबाईल नम्बर परस्पर साझा कराये गये। मन् पुलिस निरीक्षक ने अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के क्रम में श्री महेशचन्द्र कानि. को पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वोईस रिकॉर्डर व एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड निकलवा कर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल वोईस रिकॉर्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। परिवादी को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर संदिग्ध श्री महेश, श्री रतन, श्री विजेश, श्री पन्नालाल वन कर्मी से अग्रीम रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय् उसमें लगाये गये मेमोरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध श्री महेश, श्री रतन, श्री विजेश, श्री पन्नालाल वन कर्मी से वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत दी गई तथा कानि. श्री महेशचन्द्र व परिवादी मय डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के उसकी निजी कार से समय 05.45 पीएम पर कार्यालय वनपाल वन नाका कातरवास की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 09.10 पी.एम पर परिवादी श्री वालचन्द तेली, सहपरिवादी श्री धरमचन्द व कानि. श्री महेशचन्द नम्बर 394 उपस्थित चोकी हो कानि. श्री महेशचन्द ने डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि "श्रीमान के निर्देशानुसार मैं

कानि0 व परिवादी श्री वालचन्द मय डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के परिवादी की निजी कार से रवाना हो खैरवाडा पंहुचे जहा परिवादी का पार्टनर श्री धरमचन्द मीला जिसे साथ मे लेकर रवाना हो समय करीब 07.00 पी.एम. पर कार्यालय वनपाल वननाका कातरवास के पास पहुंच संदिग्ध की लोकेशन जानने के लिए परिवादी श्री वालचन्द के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध श्री महेश कुमार मीणा के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर पूछा की आप कहा हो तो संदिग्ध श्री महेश कुमार ने कहा मै चोकी पर ही हुं आजाओ उक्त वार्ता को डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात मन् कानि. द्वारा परिवादी व सपरिवादी को समझाईश कर संदिग्धगण श्री महेश, श्री रतन, श्री विजेश, श्री पन्नालाल वन कर्मी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय् उसमें लगाये गये मेमोरी कार्ड के समय करीब 07.02 पीएम पर चालु कर कार्यालय वनपाल वन नाका कातरवास के लिए रवाना किया तथा मै कार्यालय वनपाल वन नाका कातरवास के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्चात कुछ समय बाद परिवादी व सहपरिवादी मेरे पास आया तथा परिवादी नेडिजिटल वोईस रिकॉर्डर मुझ कानि को सुपुर्द किया जो चालू था जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी ने मुझे बताया कि रिश्वत राशि की बात हो गई है। उक्त वार्ता को मैने डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। जिस पर मुझ कानि0 द्वारा उक्त समस्त हालात श्रीमान को जरिए मोबाईल निवेदन किये गये। इसके पश्चात श्रीमान के निर्देशानुसार मन् कानि व परिवादी, सहपरिवादी मय डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के परिवादी की निजी कार से रवाना हो हाजिर कार्यालय आये। जिस पर परिवादी द्वारा पुलिस निरीक्षक को बताया की कार्यालय वनपाल वन नाका कातरवास गया जहा श्री महेश जी, श्री रतन, श्री विजेश जी, श्री पन्नालाल जी मिले जिनसे मेने बात की तो वो पहले तो एक लाख की मांग कर रहे थे और बाद मे 80,000 रूपये की मांग की गई। उसके बाद कोरे तीन कागज पर मेरे हस्ताक्षर करवाये गये व दो ट्रक मेसे ट्रक नम्बर RJ 27 GB 4806 को छोड दिया उसके बाद कल रिश्वत राशि 80,000 रूपये लेकर बुलाया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गए कथनो की ताईद होकर संदिग्धगण द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 80,000/- रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई । जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अब तक के सम्पूर्ण हालात उच्चाधिकारियों को अवगत कराये गये। जिस पर उच्चाधिकारियों द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री वालचन्द तेली से पूछा कि 80,000/- रूपये व्यवस्था कर कब तक कार्यालय में उपस्थित हो जाओगे तो परिवादी ने बताया कि मैं कल दिनांक 01.12.2025 को मय् रिश्वत राशि के कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा संदिगधगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 80,000/- रूपये लेकर दिनांक 01.12.2025 को समय 09.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। परिवादी श्री वालचन्द तेली द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र एवं डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात परिवादी श्री वालचन्द तेली व सपरिवादी श्री धरमचन्द को हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 01.12.2025 को समय करीब 08.00 ए.एम पर ट्रैप कार्यवाही के क्रम में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने एवं कार्यालय समय से पूर्व आवश्यकता होने से एएसआई श्री करण सिंह से श्रीमान उप निदेशक आयुर्वेद विभाग डूंगरपुर को जरिये मोबाईल गवाह तलबी हेतु निवेदन किया गया व अकब से श्रीमान उप निदेशक आयुर्वेद विभाग डूंगरपुर को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1852 दिनांक 01.12.2025 तहरीर जारी कि गई। समय करीब 09.00 ए.एम पर परिवादी श्री वालचन्द तेली व सहपरिवादी श्री धरमचन्द ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया तथा परिवादी ने पुलिस निरीक्षक को बताया की श्री महेश, श्री रतन, श्री विजेश, श्री पन्नालाल वन कर्मी की मांग के मुताबिक रिश्वत में दी जाने वाली राशि 80,000 रूपये की व्यवस्था कर लाया हूं । इसके पश्चात् परिवादी व सहपरिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय करीब 09.30 ए.एम पर दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये। जिसे पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पुछा तो उन्होंने अपना नाम श्री जयंत कुमार पिता धनपाल जी यादव जाति यादव उम्र 39 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट वरदा थाना वरदा जिला डूंगरपुर हाल वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुर्वेद औषधालय शास्त्री कोलोनी डूंगरपुर व श्री कपिल शर्मा पिता प्रकाशचन्द्र शर्मा उम्र 29 वर्ष जाति ब्राहमण मुकाम पोस्ट ठाकरडा थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर हाल कनिष्ठ लिपिक उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग डूंगरपुर होना बताया । तत्पश्चात पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान को की जाने वाली अग्रिम ट्रैप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु मौखिक सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी गई। जिस पर पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय मे बैठे परिवादी श्री वालचन्द व सपरिवादी श्री धरमचन्द तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 30.11.2025 को परिवादी श्री वालचन्द तेली द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र एवं डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड जो पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे सुरक्षित रखा हुआ को निकाल कर परिवादी, सहपरिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री वालचन्द तेली द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द ब शब्द की पुष्टि कर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् परिवादी के प्रार्थना पत्र पर सपरिवादी श्री

धरमचन्द व दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को चालू कर दिनांक 30.11.2025 को परिवादी एवं संदिग्धगण के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई तो दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। समय करीब 10.45 ए.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी श्री वालचन्द तेली को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री वालचन्द तेली ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 160 नोट कुल राशि 80,000 रूपये प्रस्तुत किये। परिवादी श्री वालचन्द की जामा तलाशी गवाह श्री जयंत कुमार से लिवाई गई। जिसमें परिवादी श्री वाचलन्द तेली के पास एक मोबाईल फोन के अलावा कुछ नही मिला जिसे परिवादी श्री वालचन्द तेली को सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री वालचन्द तेली द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 390 से पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल कि दराज में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशीयो को निकलवाया जाकर कार्यालय के टेबल पर अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। संदिग्ध श्री महेश मीणा, वनरक्षक को देने के लिए परिवादी श्री वालचन्द तेली द्वारा पेश किये गये नोटों को श्री जितेन्द्र कुमार कानि. 390 से ही परिवादी श्री वाचलन्द तेली की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में कोई शेष नही छोड़ते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री बाबुलाल कानि. 393 से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादीगण को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री जितेन्द्र कुमार कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादीगण तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए मन् पुलिस निरीक्षक ने बताया कि यदि आरोपीगण परिवादीगण से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपीगण ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री जितेन्द्र कुमार कानि. से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री जितेन्द्र कुमार कानि. से ही पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल कि दराज में सुरक्षित रखवाई गई तथा परिवादीगण को यह भी हिदायत दी गई कि वह संदिग्धगण के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादीगण को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री बाबु लाल कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियाँ, प्लास्टिक के डिस्पोजल, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों व दोनो गवाहान तथा परिवादीगण का आपस में परिचय करवाया गया तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथा संभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादीगण व संदिग्धगण के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादीगण को हिदायत दी गई कि रिश्वत् राशि के लेन-देन के वक्त संदिग्धगण से होने वाली वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड करें। परिवादीगण, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री जितेन्द्र कुमार कानि. को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। परिवादीगण को डिजीटल वोईस रिकॉर्डर चालु व बंद करने की विधि को पुनः समझाकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को परिवादी श्री वालचन्द तेली को सुपूर्द कर संदिग्धगण श्री महेश मीणा, वनरक्षक व अन्य से रिश्वत राशि लेनदेन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। समय करीब 11.35.ए.एम. पर श्री रतनसिंह राजपुरोहित पुलिस उप अधीक्षक सर बाद अवकाश भुगत हाजिर कार्यालय आये। श्री प्रदीप कुमार भण्डारी कानि. 169, श्री संजय सिंह कानि. 318 एसीबी चोकी एसयू उदयपुर से हाजिर कार्यालय आये जिनका का परिचय परिवादी श्री वालचन्द तेली, सहपरिवादी श्री धरमचन्द व दोनो स्वतन्त्र गवाह से करवाया गया। समय करीब 11.45 ए.एम पर पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को बुलाकर पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज में से सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (Galaxy XCover7 ekWMy-SM-G556B), चार्जींग केबल, पॉवर बैंक व दो रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड निकलवाकर उक्त समस्त उपकरणों की जांच की गई तो उक्त समस्त उपकरण सही ढंग से संचालित होना पाये गये तथा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (sanDisk 8 GB Micro SDHC) डलवाकर उक्त सरकारी मोबाईल फोन को श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द

कर रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी कर वीडियों को उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने तथा बरामदगी की वीडियोग्राफी के पश्चात उक्त मूल मेमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करने हेतु निर्देशित किया गया तथा इसके अतिरिक्त संदिग्धगण के आवास की खाना तलाशी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करने हेतु एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (sanDisk 8 GB Micro SDHC) श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर वीडियोग्राफी हेतु निर्देशित किया गया। समय करीब 11.55 ए.एम पर समय कानि. श्री महेश चन्द्र व परिवादी श्री वालचन्द तेली व सहपरिवादी श्री धरमचन्द को मय डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड के परिवादी की निजी कार से रवाना कर उनके पीछे-पीछे पुलिस उप अधीक्षक सर , मय स्वतन्त्र गवाह श्री कपिल शर्मा, श्री करण सिंह एएसआई, श्री अख्तर खांन, वीर विक्रम सिंह कानि. 189, श्री बाबुलाल कानि. 393, श्री प्रदीप कुमार भण्डारी कानि. 169, श्री संजय सिंह कानि. 318 मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, व आवश्यक संसाधनों के प्राईवेट वाहन से रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक, मय् स्वतन्त्र गवाह श्री जयन्त कुमार, श्री धिरेन्द्र सिंह कानि. 546, श्री दीपक कानि. 87 निजी कार से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से कार्यालय वनपाल वन नाका कातरवास तहसील खैरवाडा जिला उदयपुर की तरफ जाने रवाना हुए। समय करीब 12.17 पी.एम. पर कानि0 श्री महेश चन्द्र ने पुलिस निरीक्षक की कार को हाथ से रूकने का ईशारा किया। जिस पर पुलिस निरीक्षक द्वारा कार रोक कर कानि0 महेश चन्द्र के पास गया तो कानि0 महेश चन्द्र ने बताया कि परिवादी श्री वालचन्द के मोबाईल नम्बर पर समय करीब 12.17 पी.एम. पर संदिग्ध श्री महेश कुमार मीणा के मोबाईल नम्बर से कॉल आया जो कट गया जिस पर परिवादी वालचन्द ने वापस संदिग्ध श्री महेश कुमार मीणा के मोबाईल पर कॉल किया उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया। समय करीब 01.05 पी.एम पर पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवानाशुदा कार्यालय वनपाल वन नाका कातरवास तहसील खैरवाडा जिला उदयपुर के आस-पास पंहुच अपने-अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा किया। जहा परिवादी ने अपने पास से डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को निकाल कर कानि. श्री महेशचन्द्र को दिया जिस पर कानि. महेशचन्द्र द्वारा उसे शुरू कर समय 01.10 पी.एम पर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी श्री वालचन्द तेली व सपरिवादी श्री धरमचन्द को कार्यालय वनपाल वन नाका कातरवास तहसील खैरवाडा जिला उदयपुर के लिए रवाना किया व मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो मे अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में कार्यालय वनपाल वन नाका कातरवास के आस-पास मुकिम हुये। समय करीब 01.25 पी.एम. पर परिवादी श्री वालचन्द तेली ने आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेर कर किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक व हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से उतर कर तेज-तेज कदमो से कार्यालय वनपाल वन नाका कातरवास की तरफ जा रहे थे कि वहाँ पर उपस्थित तीन व्यक्ति हमे देख कर भागने लगे जिसे मन् पुलिस निरीक्षक व हमराहियान ने दौड कर दो व्यक्ति को पकड़ कर वन नाका कार्यालय के बाहर परिवादी श्री वालचन्द तेली के पास पहूचे तो परिवादी ने रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की, उस डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। जिसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बंद कर सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात परिवादी श्री वालचन्द तेली ने दो व्यक्ति मे से एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्री विजेश कुमार अहारी वन कर्मी है तथा दुसरे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री महेश कुमार मीणा वन कर्मी है जिसने अभी थोडी देर पहले अपनी मांग के अनुसार 80,000 रूपये मांग कर वन नाके के कमरे मे बनी पत्थर की अलमारी मे रखवाये है तथा परिवादी ने बताया कि मैने खर्चे पानी के लिये महेश कुमार मीणा से 5000 रूपये देने के लिए कहाँ तो महेश कुमार मीणा ने कहाँ कि 80,000 रूपये मे से 3000 रूपये वापस ले लो। जिस पर मैने पत्थर की अलमारी मे रखे 80,000 रूपयो मे से 3000 रूपये वापस लेकर मैने मेरी जेब मे डाल दिये। फिर मैंने महेश कुमार मीणा से हाथ मिलाकर रवाना होने की बात कर बाहर आकर रिश्वत राशि ग्रहण करने का सिर पर हाथ फैरकर ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से पूछा की वो जो भागा तीसरा व्यक्ति कौन था, तब परिवादी ने बताया की श्री रतन लाल वन कर्मी था। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय पत्र दिखाते हुए स्वंय का तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रैप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपीगण से उनका नाम पूछा तो श्री महेश कुमार मीणा पिता लक्ष्मणलाल मीणा उम्र 33 वर्ष निवासी पाराई तहसील सराडा पुलिस थाना परसाद जिला सलुम्बर हाल वनरक्षक वन नाका कातरवास रेंज खैरवाडा जिला उदयपुर एवं श्री विजेश कुमार अहारी पिता वरदीचन्द अहारी जाति मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी मोडीवासा तहसील नयागांव पुलिस थाना खैरवाडा जिला उदयपुर हाल वनरक्षक वन नाका कातरवास रेंज खैरवाडा जिला उदयपुर का होना बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी महेश कुमार मीणा से चोथे व्यक्ति पन्नालाल वनरक्षक के बारे मे पुछा गया तो आरोपी महेश कुमार मीणा ने बताया कि पन्नालाल वनरक्षक मस्टररोल लेकर रेंज कार्यालय खैरवाडा गया हुआ है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस उप अधीक्षक सर को पन्नालाल वनरक्षक को डिटेन करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना खैरवाडा से वार्ता करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर पुलिस उप अधीक्षक सर द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना खैरवाडा से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर श्री पन्नालाल वनरक्षक को

वन विभाग रेंज कार्यालय खैरवाडा से डिटेन कर थाने मे लाने हेतु वार्ता की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री महेश कुमार से पूछा यहाँ किस पोस्ट पर हो तो आरोपी श्री महेश कुमार ने बताया वनरक्षक, मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी की और ईशारा करते हुये आरोपी श्री महेश कुमार से पूछा इनको जाने हो ये कौन है, आरोपी श्री महेश कुमार ने बताया नही जानता हूं, मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री महेश कुमार से पूछा नही जानते हो, मै जानता आप कैसे जानते हो। क्या नाम है इनका, आरोपी श्री महेश कुमार ने बताया वालचन्द, मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री महेश कुमार से पूछा ये क्या काम करते है, आरोपी श्री महेश कुमार ने बताया लकडी का, मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री महेश कुमार से पूछा इनकी ट्रक किसने पकडी थी तो महेश कुमार ने कहा चार जनो ने, कौन-कौन था तो महेश कुमार ने कहा मै, विजेश, रतनलाल और पन्नालाल, आप भी थे आरोपी महेश कुमार हां कब पकडी थी, आरोपी महेश कुमार कल, कल 30 तारीख को कितने बजे पकडी थी। आरोपी महेश कुमार 7 बजे के आस-पास, परिवादी की और ईशारा करते हुए इनका क्या काम था किस लिए लिए थे पैसे, किसलिए डिमाण्ड करी थी वो बोलो आरोपी महेश कुमार ट्रान्सपोरेशनत के तहत जुर्माना, सीआई साहब-कितने मांगे थे, आरोपी श्री महेश कुमार 80,000 हजार रूपये मांगे थे। अभी लिये पैसे इनसे, कहां रखवाये आरोपी श्री महेश कुमार इन्होने अन्दर जाकर रखे, आपने कहां होगा, ऐसे तो कौन रखेगा, मै आपके घर मे आकर रखुगा क्या, आरोपी श्री महेश कुमार इन्होने अन्दर जाकर रखे है, रसीद काटी आरोपी महेश कुमार अभी काट रहे थे, आपको पावर है रसीद काटने का आरोपी श्री महेश कुमार पावर तो नाका इंचार्ज का होता है, कौन है यहा का नाका इंचार्ज वो अभी नही है, खैरवाडा गये है, पैसे कहा रखे है आरोपी श्री महेश कुमार वहा पर, ये रखे है वो कितने है आरोपी श्री महेश कुमार पता नही, आपने बोला होगा तभी तो रखे है। रसीद वसीद कुछ काटी हो तो बताओ। बात करी होगी न फाईनल कितने मे किया था। आरोपी श्री महेश कुमार 77000 रूपये मे गिना नही है, अभी बोला था न भुल गया वापस, आरोपी श्री महेश कुमार 80,000 रूपये, अन्दर कौन आया था रखवाने, आरोपी श्री महेश कुमार रतन और ये आया था। तत्पश्चात आरोपी श्री महेश कुमार से पूछा गया की आपने परिवादी श्री वालचन्द तेली से कितने खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये तो आरोपी श्री महेश कुमार ने कहा तीन, वो कागज कहा है तो आरोपी श्री महेश कुमार ने कहा वहा पडे है। जिन्हे बाद अवलोकन आरोपीगण व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात आरोपी महेश कुमार मीणा के मोबाईल को खोलकर चैक किया गया तो श्री मोहम्मद फजले रबी क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम रेंज खैरवाडा जिला उदयपुर के मोबाईल नम्बर से आरोपी महेश कुमार मीणा के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल व मोबाईल पर वार्ता होना पाया गया। जिस पर आरोपी महेश कुमार मीणा के मोबाईल नम्बर से श्री मोहम्मद फजले रबी क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम रेंज खैरवाडा जिला उदयपुर के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल कर वार्ता करवाई गई। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकोर्ड किया गया। आरोपी श्री महेश कुमार मीणा वनरक्षक के तत्कालीन अधिकारी श्री मोहम्मद फजले रबी क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम एवं श्री किशनलाल रेगर क्षैत्रीय वन अधिकारी द्वितीय से विस्तृत पुछताछ किया जाना आवश्यक होने से थानाधिकारी पुलिस थाना खैरवाडा को निर्देशित किया गया कि श्री मोहम्मद फजले रबी क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम एवं श्री किशनलाल रेगर क्षैत्रीय वन अधिकारी द्वितीय से ट्रेप कार्यवाही मे पुछताछ वांछित होने से उक्त दोनो अधिकारियों को तलब कर थाने मे रखने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री महेश कुमार को कहा कि पैसे कहा है, तो आरोपी ने कहा की कमरे मे बनी पत्थर की अलमारी पर रखे हुये है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान आरोपीगण के हाथो को कलाई के उपर से पकड़वा कर स्थित कार्यालय वनपाल वन नाका कातरवास के निवास कक्ष मे ले गये जहा दीवार मे बनी पत्थर की अलमारी मे 500-500 रूपये के कुछ नोट बरामद हुए, जिसे दोनो स्वतंत्र गवाह से गिनवाये गये तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 154 नोट राशि 77000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो नोटो के नम्बर समान पाये गये। उपरोक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 154 नोट राशि 77000 रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री जयन्त कुमार को अपने पास ही सुरक्षित रखने की आवश्यक हिदायत देकर सम्भलाई गई। तत्पश्चात परिवादी श्री वालचन्द तेली ने अपने पास से 500-500 रूपये के 6 नोट कुल 3000 रूपये पेश किये उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी नोट से दोनो स्वतन्त्र गवाहान से करवाया गया तो नोटो के नम्बर समान पाये गये। उपरोक्त राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 6 नोट राशि 3000 रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री कपिल शर्मा को अपने पास ही सुरक्षित रखने की आवश्यक हिदायत देकर सम्भलाई गई। तत्पश्चात आरोपीगण के दोनों हाथों का धोवन एवं अलमारी जहा से रिश्वत राशि बरामद हुई का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से कानि. श्री वीर विक्रम सिंह से प्राईवेट वाहन में रखे हुए ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर ट्रैप बॉक्स मे से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में कार्यालय वनपाल वन नाका कातरवास के निवास कक्ष की रसोई मे रखे पीने के पानी के जरिकेन मे से अलग-अलग पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया। जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री महेश कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन

का मिश्रण हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क MRH1 o MRH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। आरोपी श्री महेश कुमार से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पूछा गया की तेरे दाहिने हाथ मे धोवन का रंग हल्का गुलाबी केसे आया तो आरोपी श्री महेश कुमार ने बताया की श्री बालचन्द द्वारा मुझसे हाथ मिलाया था। शायद इसी वजह से धोवन का हल्का गुलाबी रंग हुआ। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी श्री महेश कुमार के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग मटमेला हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो मटमेला रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क MLH1o MLH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात ट्रैप बॉक्स मे से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में कार्यालय वनपाल वन नाका कातरवास के निवास कक्ष की रसोई मे रखे पीने के पानी के जरिकेन मे से अलग-अलग पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया। जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री विजेश अहारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का मिश्रण का रंग मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो मटमेला होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क VRH1 o VRH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी श्री विजेश अहारी के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग मटमेला हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो मटमेला रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क VLH1o VLH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शीशियाँ कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात कार्यालय वनपाल वन नाका कातरवास के निवास कक्ष कि दीवार मे बनी पत्थर की अलमारी मे मिली रिश्वत राशि के स्थान का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से ट्रैप बॉक्स में से एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें कार्यालय वनपाल वन नाका कातरवास के निवास कक्ष की रसोई मे रखे पीने के पानी के जरिकेन मे से पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। अलमारी मे रिश्वत राशि बरामदगी स्थान पर गिली रूई को घुमाया जाकर उक्त तैयार शुदा घोल में डुबोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। उक्त घोल को काँच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क AP1 o AP2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियों को कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात् बरामदशुदा रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 154 नोट राशि 77000 रूपये जो स्वतंत्र गवाह श्री जयन्त कुमार के पास में सुरक्षित रखवाये गये थे जो श्री जयन्त कुमार द्वारा पेश किये जाने पर उक्त रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 154 नोट राशि 77000 रूपये के नोटों को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके पश्चात् परिवादी द्वारा पेश राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 6 नोट राशि 3000 रूपये जो स्वतंत्र गवाह श्री कपिल शर्मा के पास में सुरक्षित रखवाये गये थे जो श्री कपिल शर्मा द्वारा पेश किये जाने पर उक्त राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 6 नोट राशि 3000 रूपये के नोटों को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। कार्यवाही मे प्रयुक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को स्वतन्त्र गवाहान की मौजुदगी में जलाकर नष्ट किये गये। फर्द बरामदगी ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप पर कार्यालय वनपाल नाका कातरवास पर समय करीब 03.15 पी.एम. पर समाप्त की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान धारा 105, बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना करते हुए उक्त रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री बाबुलाल कानि0 नम्बर 393 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन (सेमसंग कम्पनी) के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमेारी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 03.19 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस उप अधीक्षक सर को जिला वन अधिकारी उदयपुर से वार्ता करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक सर द्वारा श्री मुकेश सैनी जिला वन अधिकारी उदयपुर से जरिये मोबाईल वार्ता कर एसीबी चैकी डूंगरपुर द्वारा की गई ट्रैप कार्यवाही से अवगत कराते हुये बताया कि वन नाका कातरवास रेंज खैरवाडा के श्री महेश कुमार मीणा व श्री विजेश अहारी वनरक्षकों को रिश्वत राशि लेते हुए पकडा गया है। आपके अधीनस्थ किसी अधिकारी को मौके पर भिजवानें हेतु निवेदन किया गया तथा आरोपी श्री महेश कुमार मीणा निवासी पाराई तहसील सराडा पुलिस थाना परसाद के घर की खाना तलाशी हेतु उच्चधिकारीयो से वार्ता की गई। तत्पश्चात समय

करीब 03.25 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष परिवादी की निशादेही से घटनास्थल निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल नक्शा मौका पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही किया गया। समय करीब 03.45. पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी से वीडियोग्राफी करने तथा वीडियो को ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) में रिकॉर्ड करने हेतु सरकारी मोबाईल फोन मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर निर्देशित किया गया था। जिस पर श्री बाबु लाल कानि0 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पश्चात इस समय सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैंने अपने पास सुरक्षित रखा। आरोपीगण श्री महेश कुमार मीणा व श्री विजेश अहारी वनरक्षक के रिहायशी आवास कार्यालय वनपाल वननाका कातरवास में ही होना बताये जाने पर उक्त कार्यालय की खाना तलाशी ली जानी हैं इस हेतु श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 के पास रखे एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) जो पूर्व में श्री बाबु लाल कानि0 को सुपुर्द किया गया था जिसे सरकारी मोबाईल फोन में लगवाकर मन् पुलिस निरीक्षक, श्री करण सिंह एएसआई मय दोनों गवाहान एवं आरोपीगण श्री महेश कुमार मीणा व श्री विजेश अहारी वनरक्षक, श्री बाबु लाल कानि. मय सरकारी मोबाईल फोन के उक्त कार्यालय की नियमानुसार खाना तलाशी ली गई तथा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 से सरकारी मोबाईल फोन से उक्त खाना तलाशी की विडियोग्राफी करवायी गई तथा फर्द खाना तलाशी रिपोर्ट पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा श्री बाबु लाल कानि0 द्वारा उक्त बैरक की खाना तलाशी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पश्चात सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। समय करीब 05.15 पी.एम पर तलबीदा श्रीमती सुरेखा चैधरी उप वन संरक्षक जिला उदयपुर वन नाका कातरवास रैंज खैरवाडा पर उपस्थित आये। मौके पर एसीबी टीम द्वारा की गई ट्रैप कार्यवाही से अवगत कराते हुये। श्री महेश कुमार मीणा, श्री विजेश अहारी, श्री पन्नलाल, श्री रतनलाल वनरक्षकों के द्वारा वन नाका कातरवास पर परिवादी की लकडीयो से भरी ट्रक को लाकर खडा किया गया है। जिसके संबंध मे वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित दस्तावेंज देने हेतु निवेदन किया गया है। जिस पर उप वन संरक्षक महोदया द्वारा वन नाका कातरवास के कार्यालय रिकॉर्ड का अवलोकन कर उक्त रिकॉर्ड की सत्यापित फोटोप्रति कार्यालय रेंज खैरवाडा पर जाकर उपलब्ध कराना बताया। साथ ही नाका परिसर मे खडी परिवादी की लकडी से भरी ट्रक नम्बर GJ 09 AU 1283 की नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही के बाबत् निवेदन किया गया। समय करीब 06.10 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियानों, परिवादी, सपरिवादी एवं डिटेनशुदा आरोपीगण श्री महेष कुमार मीणा व श्री विजेष अहारी वनरक्षक सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, ट्रैप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के निजी व प्राईवेट वाहनों से कार्यालय वनपाल वन नाका कातरवास से वन विभाग रेंज कार्यालय खैरवाडा के लिए रवाना हुए। समय करीब 08.00 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियानों, परिवादी, सपरिवादी एवं डिटेनशुदा आरोपीगण श्री महेश कुमार मीणा व श्री विजेश अहारी वनरक्षक सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, ट्रैप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के निजी व प्राईवेट वाहनों से रवानाशुदा वन विभाग रेंज कार्यालय खैरवाडा जिला उदयपुर पर समय करीब 07.05 पी.एम पर पहुचे जहाँ पर श्रीमती सुरेखा चैधरी उप वन संरक्षक जिला उदयपुर द्वारा वन नाका कातरवास के रिकॉर्ड की प्रमाणित छायाप्रतिया उपलब्ध करवाई गई एवं मूल रिकोर्ड से प्रमाणित रिकोर्ड का मिलान किया गया अपराध की प्रारम्भिक सूचना रजिस्ट्रर पुस्तिका क्रमांक 367 पृष्ठ क्रमांक 44 पर दिनांक 24.11.2025 को प्रकरण दर्ज हो इसके बाद कोई प्रकरण दर्ज नही है। केश बुक का अवलोकन किया गया तो दिनांक 04.10.2025 तक का इन्द्राज हो उसके आगे कोई इन्द्राज नही है। फार्म आमदनी नम्बर 1(रवाना) बुक संख्या 533 पेज नम्बर 50 तक दिनांक 24.11.2025 तक की रसीद कटी हुई है एवं उक्त बुक भर जाने से दिनांक 25.11.2025 को क्षैत्रिय वन अधिकारी खैरवाडा कार्यालय मे नई बुक इश्यु करवाई वनपाल किशनलाल रेगर द्वारा आवेदन किया गया आवेदन की प्रमाणित प्रति जिस पर क्रमांक 43 दिनांक 25.11.2025 अंकित है। इसी आवेदन पर कार्यालय क्षैत्रिय वन अधिकारी खैरवाडा द्वारा नई फार्म आमदनी नम्बर 1(रवाना) बुक संख्या 530 पेज नम्बर 1 से 50 तक इश्यु की जिसका अवलोकन किया जो खाली हो रवाना मे किसी से कोई जुर्माना नही लिया गया है। जावक पंजिका की छाया प्रति प्राप्त की अन्तिम पत्र क्रमांक 42 दिनांक 24.11.2025 को आरो खैरवाडा रेन्ज ऑफिस एफआईआर नम्बर 367 भेजना अंकित है इसके बाद किसी तरह का कोई पत्र अंकित नही किया गया है। जिसको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। उक्त रिकोर्ड अवलोकन से प्रकरण मे श्री महेश कुमार, श्री पन्नालाल, श्री विजेश कुमार व श्री रतनलाल उक्त चारो वन रक्षक द्वारा दिनांक 30.11.2025 को ट्रक नम्बर GJ 09 AU 1283 o RJ 27 GB 4806 लकडी से भरी पकडने एवं वन नाका कातरवास मे अवेधरूप से अपने कब्जे मे रखने के सम्बधं में कार्यालय वनपाल वन नाका कातरवास के रिकोर्ड मे कही पर भी इन्द्राज नही किया गया है। पूर्व से तलबीशुदा श्री मोहम्मद फजले रबी क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम रेंज खैरवाडा एवं श्री किशनलाल रेगर क्षैत्रीय वन अधिकारी द्वितीय रेंज खैरवाडा को पुलिस थाना खैरवाडा से रेंज कार्यालय खैरवाडा पर उपस्थित आये। जिन्हे वन नाका कातरवास पर एसीबी टीम द्वारा की गई ट्रैप

कार्यवाही से अवगत कराया गया। श्री मोहम्मद फजले रबी क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम रेंज खैरवाडा एवं श्री किशनलाल रेगर क्षैत्रीय वन अधिकारी द्वितीय रेंज खैरवाडा की भुमिका की जाँच हेतु उक्त दोनो अधिकारियों को रेंज कार्यालय खैरवाडा से साथ लेकर मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो चोकी डूंगरपुर पर जाने हेतु रवाना हुये। समय करीब 09.05 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियानों, परिवादी, सपरिवादी एवं डिटेनशुदा आरोपीगण श्री महेश कुमार मीणा व श्री विजेश अहारी वनरक्षक, श्री मोहम्मद फजले रबी क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम रेंज खैरवाडा एवं श्री किषनलाल रेगर क्षैत्रीय वन अधिकारी द्वितीय रेंज खैरवाडा, सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, ट्रैप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के अपने-अपने वाहनों से रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पहुंच सिलचिटशुदा आर्टिकल व ट्रेप बॉक्स को कानि. श्री वीर विक्रम सिंह को सम्भलाया गया। समय करीब 09.10 पी.एम पर श्री मोहम्मद फजले रबी क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम रेंज खैरवाडा एवं श्री किशनलाल रेगर क्षैत्रीय वन अधिकारी द्वितीय रेंज खैरवाडा से विस्तृत पूछताछ कर पूछताछ नोट बनाया जाकर शामिल पत्रावली किये गये। समय करीब 09.45 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जयन्त कुमार, श्री कपिल शर्मा, व श्री मोहम्मद फजले रबी क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम रेंज खैरवाडा तथा आरोपी श्री महेश कुमार, वनकर्मी के समक्ष श्री मोहम्मद फजले रबी क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम रेंज खैरवाडा के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री महेश कुमार, वनकर्मी के मोबाईल नम्बर पर वाटसअप कॉल व चेट की हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट लिया जाकर श्री बाबु लाल कानि से कार्यालय के कम्प्युटर से प्रिन्ट निकलवाई जाकर सम्बधीतो के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। समय करीब 09.55 पी. एम पर मामले मे श्री पन्नालाल वनरक्षक व श्री रतनलाल वनरक्षक के विरूद्व दिनांक 30.11.2025 को परिवादी वालचन्द तेली एवं आरोपी महेश कुमार वनरक्षक, विजेश कुमार वनरक्षक, रतनलाल वनरक्षक, पन्नालाल वनरक्षक के बीच मांग सत्यापन के दौरान की गई वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं आरोपी महेश कुमार वनरक्षक एवं आरोपी विजेश कुमार के पुछताछ से एवं वन नाका कातरवास के रिकॉर्ड एवं वन नाके पर लकडी से भरी ट्रक नम्बर GJ 09 AU 1283 मिलना व पन्नालाल के उसी नाके पर पदस्थापन होना एवं महेश कुमार एवं विजेश कुमार से मिलकर रिश्वत राशि की मांग के दौरान उपस्थित रहना का प्रथम दृष्टिया संदिग्ध प्रतीत होता है। श्री मोहम्मद फजले रबी क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम रेंज खैरवाडा एवं श्री किशनलाल रेगर क्षैत्रीय वन अधिकारी द्वितीय रेंज खैरवाडा की भुमिका आरोपीयों एवं संदिग्धो के मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता एवं साक्ष्यों से किसी भी प्रकार की संलिप्तता प्रथम दृष्टिया नही पाई गई। दिनांक 30.11.2025 को परिवादी वालचन्द तेली एवं आरोपी महेश कुमार वनरक्षक, विजेश कुमार वनरक्षक, रतनलाल वनरक्षक, पन्नालाल वनरक्षक के बीच मांग सत्यापन के दौरान की गई वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट व दिनांक 01.12.2025 को ट्रैप कार्यवाही के दौरान वालचन्द तेली एवं आरोपी महेश कुमार वनरक्षक, आरोपी विजेश कुमार वनरक्षक के बीच हुई वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं आरोपी महेश कुमार वनरक्षक एवं आरोपी श्री विजेष कुमार वनरक्षक की निषादेही से वन नाका कातरवास परिसर मे परिवादी द्वारा दी गई रिष्वत राषि 77,000 रूपये बरामद होना एवं आरोपी महेश कुमार वनरक्षक एवं आरोपी श्री विजेश कुमार वनरक्षक के पुछताछ व वननाका कातरवास से लिये गये रिकॉर्ड से दोनो के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 का अपराध प्रमाणित है। समय करीब 10.10 पी.एम पर श्री मोहम्मद फजले रबी क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम रेंज खैरवाडा एवं श्री किशनलाल रेगर क्षैत्रीय वन अधिकारी द्वितीय रेंज खैरवाडा को ब्यूरो कार्यालय से रूकसत किया गया। समय करीब 10.15 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक को दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जयन्त कुमार, श्री कपिल शर्मा, परिवादी श्री वालचन्द तेली तथा आरोपी श्री महेश कुमार वनरक्षक के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 30.11.2025 को परिवादी श्री वालचन्द के मोबाईल नम्बर एवं श्री महेश कुमार मीणा, वनरक्षक के मोबाईल नम्बर। से हुई मोबाईल वार्ता, को जो कि कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कानि. श्री महेशचन्द्र से कनेक्ट करवाया तो कानि. श्री महेशचन्द्र ने बताया कि ट्रेप कार्यवाही के दौरान हुई रिकोर्डशुदा वार्तायें डिजिटल टेप रिकॉर्डर के मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड होने की जगह डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकोर्ड हो गई है उक्त वार्ताओ को पृथक से मूल मेमोरी कार्ड मे सेव किया जायेगा। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड शुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री महेश चन्द्र कानि न 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूररों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ताओ में परिवादी श्री वालचन्द तेली एवं आरोपी श्री महेश कुमार मीणा, वनरक्षक ने अपनी-अपनी आवाज की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय करीब 10.30 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक को दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जयन्त कुमार, श्री कपिल शर्मा, परिवादी श्री वालचन्द तेली तथा आरोपी श्री महेश कुमार व श्री विजेश कुमार वनरक्षक समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 30.11.2025 को परिवादी श्री वालचन्द तेली एवं श्री महेष कुमार, श्री पन्नालाल, श्री विजेश कुमार व श्री रतनलाल

वनरक्षक के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को जो कि कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री महेश चन्द्र कानि न 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ताओ में परिवादी श्री वालचन्द एवं आरोपी श्री महेश कुमार मीणा, श्री विजेश कुमार वनरक्षक ने अपनी-अपनी आवाज की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। दिनांक 02.12.2025 को समय करीब 02.00 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक को दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जयन्त कुमार, श्री कपिल शर्मा, परिवादी श्री वालचन्द तेली तथा आरोपी श्री महेश कुमार वनरक्षक के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 01.12.2025 को समय 12.17 पीएम पर परिवादी श्री वालचन्द के मोबाईल नम्बर एवं आरोपी श्री महेश कुमार मीणा, वनरक्षक के मोबाईल नम्बर से हुई मोबाईल वार्ता को जो कि कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री महेश चन्द्र कानि न 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ताओ में परिवादी श्री वालचन्द तेली एवं आरोपी श्री महेष कुमार मीणा, वनरक्षक ने अपनी-अपनी आवाज की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय करीब 02.15 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक को दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जयन्त कुमार, श्री कपिल शर्मा, परिवादी श्री वालचन्द तेली तथा आरोपी श्री महेश कुमार व श्री विजेश कुमार वनरक्षक के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 01.12.2025 को समय 01.10 पीएम पर परिवादी श्री वालचन्द तेली एवं आरोपी श्री महेश कुमार मीणा व श्री विजेश कुमार वनरक्षक के मध्य हुई रिश्वत राशी लेनदेन वार्ता, जो कि कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री महेश चन्द्र कानि न 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ताओ में परिवादी श्री वालचन्द तेली एवं आरोपी श्री महेश कुमार मीणा, श्री विजेश कुमार वनरक्षक ने अपनी-अपनी आवाज की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय करीब 03.30 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक को दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जयन्त कुमार, श्री कपिल शर्मा, तथा आरोपी श्री महेश कुमार वनरक्षक के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 01.12.2025 को समय 02.13 पीएम पर आरोपी श्री महेश कुमार वनकर्मी के मोबाईल नम्बर एवं श्री मोहम्मद फजले रबी, क्षैत्रीय वन अधिकारी, प्रथम रेंज खेरवाडा के मोबाईल नम्बर से हुई मोबाईल वार्ता एंव वाटसअप मोबाईल वार्ता, को जो कि कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री महेश चन्द्र कानि न 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ताओ में आरोपी श्री महेश कुमार मीणा, वनरक्षक ने एक आवाज स्वंय की तथा दुसरी आवाज श्री मोहम्मद फजले रबी, क्षैत्रीय वन अधिकारी, प्रथम रेंज खेरवाडा की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय करीब 03.45 ए.एम पर आरोपी श्री महेश कुमार वनरक्षक के मोबाईल की ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता होने से इस समय मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जयन्त कुमार, श्री कपिल शर्मा व आरोपी श्री महेश कुमार वनरक्षक के समक्ष आरोपी के मोबाईल TECNO कम्पनी मॉडल TECNOK15q बरंग पिला-सिल्वर कलर मय दो सीम एयरटेल नम्बर एवं जीओ नम्बर 6377010472 की लगी हूई को वजह सबूत जब्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट कर मार्क T दिया गया। चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 04. ए.एम पर आरोपी श्री विजेश कुमार वनरक्षक के मोबाईल की ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता होने से इस समय मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जयन्त कुमार, श्री कपिल शर्मा व आरोपी श्री विजेश कुमार वनरक्षक के समक्ष आरोपी के मोबाईल SEMSANGM11कम्पनी मॉडल Galaxy M11 बरंग हरा-सिल्वर मय दो सीम एयरटेल नम्बर एवं जीओ नम्बर की लगी हूई हो प्रकरण में अहम साक्ष्य होने से उक्त

मोबाईल को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा मार्क S दिया गया। चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 04.15 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जयन्त कुमार, श्री कपिल शर्मा व आरोपीगण के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री महेश कुमार, वन रक्षक नाका कातरवास तहसील खैरवाडा जिला उदयपुर व अन्य में दिनांक 30.11.2025 को परिवादी श्री बालचन्द, सहपरिवादी धर्मचन्द एवं आरोपी श्री महेश कुमार के मध्य हुई जरिये मोबाईल वार्ता एवं रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 01.12.2025 को हुई वाट्सएप मोबाईल वार्ता व जरिये मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्ताऐं जो प्रक्रिया अनुसार डिजिटल टेप रिकॉर्डर मे प्रयुक्त मेमोरी कार्ड मे सुरक्षित था।, डिजीटल टेप रिकॉर्डर को श्री बाबुलाल कानि. से सरकारी कम्प्यूटर में कनेक्ट करा मूल मेमोरी कार्ड की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवा कर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं को कॉपी कर चार पेन ड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08GB की तैयार की गयी। एक मुल पेनड्राईव की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवा कर उस मुल पेनड्राईव को कपडे की थैली में रखा जाकर मार्क PD दिया जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये एवं एक पर आईओ पेन ड्राईव तथा दी पर आरोपी पेनड्राईव लिखा गया। आरोपी पेनड्राईव की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये, तीनो पेन ड्राईव को खाकी लिफाफे मे अनषील्ड रखा गया एवं मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल टेप रिकोर्डर से पृथक कर मेमोरी कार्ड बरंग MORJIM 4 GB मेमोरी कार्ड कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया समय करीब 04.40 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जयन्त कुमार, श्री कपिल शर्मा व आरोपीगण के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री महेश कुमार, वन रक्षक नाका कातरवास तहसील खैरवाडा जिला उदयपुर व अन्य में ट्रेप कार्यवाही के दौरान् आरोपी से रिश्वत राशि बरामदगी एवं हाथ धुलाई के श्री बाबुलाल कानि. के द्वारा कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कंपनी के Xcover7 से विडियो ग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल मे लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित थी, मूल मेमोरी कार्ड से रिकॉर्ड शुदा विडियोग्राफी की कॉपी कर एक पेन ड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08GB तैयार की गयी। जिस पर आईओं पेनड्राईव लिखा जाकर पेनड्राईव को खाकी लिफाफे मे अनशील्ड रखा गया एवं मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड SanDisk Micro SDHC 8GB मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट कराचीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M -1 अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया समय करीब 04.50 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जयन्त कुमार, श्री कपिल शर्मा व आरोपीगण के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री महेश कुमार, वन रक्षक नाका कातरवास तहसील खैरवाडा जिला उदयपुर व अन्य में रिहायशी बैरिक, वन नाका कातरवास पुलिस थाना बावलवाडा जिला उदयपुर मे स्थित बैरिक की खाना तलाशी के दौरान् श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कंपनी के Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल मे लगे मेमोरी कार्ड मे सुरक्षित थी, मूल मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड शुडा विडियोग्राफी की कॉपी कर एक पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08GB तैयार की गयी। जिस पर आई ओं पेन ड्राईव लिखा जा कर पेनड्राईव को अनशील्ड रखा गया एवं मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड SanDisk Micro SDHC 8GB मेमोरी कार्ड को कवर में रख कर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M-2 अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। समय करीब 05.00 ए.एम पर आरोपी श्री महेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मणलाल जाति मीणा उम्र 33 वर्ष निवासी पाराई पोस्ट परसाद तहसील सराडा पुलिस थाना परसाद जिला सलुम्बर हाल वनरक्षक वन नाका कातरवास रैंन्ज खैरवाडा जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 के प्रावधानो की पालना कर जरिये पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पिता श्री लक्ष्मणलाल मीणा को नियमानुसार दी गई। समय करीब 05.15 ए.एम पर आरोपी श्री विजेश कुमार अहारी पुत्र श्री वरदीचन्द अहारी जाति अहारी उम्र 40 वर्ष निवासी गांव मोडीवासा पोस्ट नयागांव पुलिस थाना खैरवाडा जिला उदयपुर हाल वनरक्षक वन नाका कातरवास रैंन्ज खैरवाडा जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 के प्रावधानो की पालना कर जरिये पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पिता श्री वरदीचन्द अहारी .को नियमानुसार दी गई। समय करीब 05.25 पी.एम पर आरोपीगण श्री महेश कुमार व श्री विजेश कुमार को अपनी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण देने हेतु कार्यालय पत्रांक 1857,1858, 1859 व 1860 दिनांक 02.12.2025 दिये गये। आरोपीगण ने उक्त पत्रों पर ही अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूँ एवं मैं अपना स्पष्टीकरण बाद में प्रस्तुत करूंगा प्रत्युत्तर लिखित में पेश किया। जिसे स्वतन्त्र गवाहाण के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही किया गया। समय करीब 05.35 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय् श्री महेशचन्द्र कानि., श्री वीर विक्रम सिंह कानि. व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. के मय निजी कार के गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री महेश कुमार तथा श्री विजेश कुमार का स्वास्थ्य परीक्षण कराने व बन्द हवालात पुलिस थाना

सदर डूंगरपुर कराने हेतु मय तेहरीर के रवाना हुआ। समय करीब 06.30 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय् श्री महेशचन्द्र कानि., श्री वीर विक्रम सिंह कानि. व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. के मय निजी कार के गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री महेश कुमार तथा श्री विजेश कुमार का स्वास्थ्य परीक्षण राजकीय हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर से करा रवाना हो पुलिस थाना सदर डूंगरपुर पंहुच आरोपीगण श्री महेश कुमार तथा श्री विजेश कुमार को बन्द हवालात करा परीक्षण रिपोर्ट व पुलिस थाना सदर डूंगरपुर के रोजनामचा आम की प्रतियो के साथ उपस्थित कार्यालय आये जिसे शामील पत्रावली की गई । समय करीब 09.45 ए.एम पर श्री करण सिंह स.उ.नि. मय् श्री प्रदीप कुमार कानि. व श्री संजय कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री महेश कुमार तथा श्री विजेश कुमार को पुलिस थाना सदर डूंगरपुर से प्राप्त कर ब्यूरों चोकी पर लाने हेतु रवाना किया गया। समय करीब 10.15 ए.एम पर श्री करण सिंह स.उ.नि. मय् श्री प्रदीप कुमार कानि. व श्री संजय कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री महेश कुमार तथा श्री विजेश कुमार को पुलिस थाना सदर डूंगरपुर से प्राप्त कर ब्यूरों चोकी पर पुलिस थाना सदर डूंगरपुर के रोजनामचा आम की प्रति के साथ उपस्थित कार्यालय आये व मन् पुलिस निरीक्षक को पेश की जिसे शामील पत्रावली की गई। समय करीब 10.20 ए.एम पर श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक सर मय दोनों गवाहान, श्री करण सिंह एएसआई एवं श्री प्रदीप भण्डारी कानि. व आरोपी श्री विजेश कुमार मय सरकारी मोबाईल फोन, मय आवष्यक संसाधन के सरकारी वाहन से आरोपी विजेश कुमार रियाशी मकान मोडीवासा तहसील नयागांव जिला उदयपुर की खाना तलाशी हेतु रवाना हुये। समय करीब 12.50 पी.एम पर श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक सर मय दोनों गवाहान, श्री करण सिंह एएसआई एवं श्री प्रदीप भण्डारी कानि. व आरोपी श्री विजेश कुमार मय सरकारी मोबाईल फोन, मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन से आरोपी विजेश कुमार रियाशी मकान मोडीवासा तहसील नयागांव जिला उदयपुर की खाना तलाशी हेतु रवानाशुदा आरोपी श्री विजेश कुमार रियाशी मकान मोडीवासा तहसील नयागांव जिला उदयपुर पंहुच कर नियमानुसार खाना तलाशी ली गई तथा श्री करण सिंह एएसआई से सरकारी मोबाईल फोन से उक्त खाना तलाशी की विडियोग्राफी करवायी गई तथा फर्द खाना तलाशी रिपोर्ट पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर सरकारी वाहन से रवाना ब्यूरो कार्यालय हाजिर आये। श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक सर ने उक्त फर्द खाना तलाशी मन् पुलिस निरीक्षक को पेश की जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। समय करीब 12.55 पी.एम पर पूर्व पाबन्धशुदा श्री किशनलाल रेगर क्षैत्रीय वन अधिकारी द्वितीय रेंज खैरवाडा हाजिर कार्यालय आये जिन्हे कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। समय करीब 01.00 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जयन्त कुमार, श्री कपिल शर्मा के समक्ष दिनांक 30.11.2025 को हुई मोबाईल व रूबरू मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 01.12.2025 को परिवादी श्री वालचन्द तेली, सपरिवादी धरमचन्द व आरोपी श्री महेश कुमार मीणा, वनरक्षक वन नाका कातरवास रैंज खैरवाडा जिला उदयपुर व श्री विजेश कुमार अहारी वनरक्षक वन नाका कातरवास रेंज खैरवाडा जिला उदयपुर व अन्य के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन मोबाईल व रूबरू वार्ता जिसकी डब पेन ड्राईव को ब्यूरो के लेपटॉप मे चलाकर पेनड्राईव मे सेव वार्ता को चलाकर श्री किशनलाल पिता अम्बालाल रेगर जाति रेगर उम्र 58 वर्ष निवासी रैगरो का मोहल्ला कानोड पुलिस थाना कानोड जिला उदयपुर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी द्वितीय वन रेंज, खैरवाडा जिला उदयपुर को सुनाई गई तो उक्त दर्ज वार्ता में श्री किशनलाल रेगर ने एक आवाज श्री महेश कुमार वरनक्षक, दुसरी आवाज श्री विजेश कुमार अहारी वनरक्षक व तीसरी आवाज श्री पन्नालाल वनरक्षक व चोथी आवाज श्री रतनलाल वनरक्षक की होना बताया आरोपी महेश कुमार, विजेश कुमार अहारी ,पन्नालाल वनरक्षक व रतनलाल वनरक्षक के अधीनस्थ पदस्थापित होने से उनके द्वारा आरोपी की आवाज पहचानना बताया तथा अन्य आवाज की पहचान नही की गई। समय करीब 02.00 पी. एम पर परिवादी श्री वालचन्द, सहपरिवादी श्री धरमचन्द, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जयन्त कुमार, श्री कपिल शर्मा व श्री किषनलाल रेगर क्षैत्रीय वन अधिकारी द्वितीय रेंज खैरवाडा को बाद कार्यवाही कार्यालय से रूकसतकिया गया।इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से यह पाया गया हैं कि परिवादी श्री वालचन्द तेली पिता श्री डाल चन्द तेली उम्र 35 वर्ष निवासी बिछीवाडा तहसील झाडोल जिला उदयपुर ने उपस्थित चोकी होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की मन् पुलिस निरीक्षक को पेश की कि "उपरोक्त विषय मे मुज प्राप्त वालचन्द/डालू तेली उम्र 35 वर्ष निवासि बिछीवाडा त. झाडोल जिला उदयपुर का निवेदन इस प्रकार है कि मे और धरमचन्द/गणेश जी पारगी निवासी झाडोल दोनो पाटनर सिप लकडी का वेपार करते है दिनांक 29/11/2025 को मेने फलासिया से ट्रक नम्बर GJ 09 AU 1283 मे निलगिरी व सेम्नल की लकडी भराई ट्रक चालक महेन्द्र मेघवाल मेरे गांव का ही है उसे पाबन्द किया कि ट्रक सुबह यहा से ले जाकर खेरवाडा भेरूभाई सुथार के यहा पहूँचाना है मेरे पाटनर धरमचन्द ने दुसरी गाडी नम्बर RJ 27 GB 4806 को झाडोल से निलगिरी की लकडी भरी जिसको पाबन्द किया कि दोनो गाडिया एक साथ सुबह खेरवाडा भैरूलालजी सुथार के पास ले जाकर खाली करवाना बिल वही का है। दिनांक 30/11/2025 की सुबह 8 बजे सूचना मिली की दोनो गाडी वन विभाग नाका कानपुर वाले ने पकड ली है जिस पर मै वहा गया तो मालुम हुआ कि सुबह उनाली खेर गांव के पास वन विभाग के गार्ड महेश मिला, रतन, विजेश, पन्नालाल चारो वर्दी मे होकर हमारी दोनो ट्रक लकडी से भरी हुई ले जाकर कातवास विन विभाग नके पर खडी करा दी है। मेने मेरे पाटनर धरमचन्द से पुछा ये ट्रके के छोडने के क्या मग रहे है जिस पर धरमचन्द ने कहा इन्हेने ट्रके खडी करा दी है और गार्ड महेश 1 लाख रूपये लेने की मांग कर रहा है जिस पर धरमचद और ड्रायवर के मेरे साथ लेकर आ

गया। मै और मेरा पाटनर धरमचन्द लकडी का धंधा करते है नियम अनुसार बिल, बिल्टी कराते है फिर भी ये आये दिन परेशान करते है गार्ड महेश व उसके साथियो ने पहले भी पैसे ले लिये है और फिर हमारी लकडी की गाडी छोडी है, इस बार मै रिश्वत राशि नही देना चाहता हॅं् रंगे हाथो रिशवत लेते हुए पकडवाना चाहता हुं मेरे महेश, रतन, विजेश, पन्नालाल से मेरी कोई उदारी या लेन-देन बाकी नही है।" जिस पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया गया तो दौराने मांग सत्यापन आरोपी द्वारा परिवादी से 80,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुआ। जिस पर दिनांक 01.12.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तो आरोपी श्री महेश कुमार मीणा वनरक्षक एवं श्री विजेश कुमार वनरक्षक द्वारा परिवादी श्री वालचन्द तेली से 80,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहणकर कार्यालय वनपाल नाका कातरवास रैंज खैरवाडा जिला उदयपुर के कार्यालय मे दीवार मे लगी पत्थर की अलमारी मे रखवाई व परिवादी द्वारा खर्चे पानी के लिये राशि मांगी गई तो आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि मे से 3000 रूपये लेने हेतु कहाँ इस प्रकार आरोपीगण द्वारा वन नाका कातरवास मे परिवादी से रिश्वत राशि 77,000 रूपये ग्रहण की गई जो बरामद की गई व उक्त 3000 रूपये के नोटों को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये आरोपी श्री महेश कुमार मीणा वनरक्षक एवं श्री विजेश कुमार अहारी वनरक्षक के विरूद्ध जुर्म धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बीएनएस में प्रमाणित होने से गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधान किया गया। आरोपीगण को दिनांक 02.12.2025 को श्रीमान् विशेष न्यायाधीश, सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या 01, उदयपुर मे पेश किया गया। आरोपीगण श्री महेश कुमार मीणा वनरक्षक व श्री विजेश कुमार अहारी वनरक्षक के आवास कार्यालय वनपाल वन नाका कातरवास रैंज खैरवाडा जिला उदयपुर की खानातलाशी श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक द्वारा ली गई एवं श्री विजेश कुमार वनरक्षक के आवास की खानातलाशी मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ली गई तथा श्री महेश कुमार मीणा वनरक्षक के मकान की खानातलाशी श्री लक्ष्मणलाल डांगी, एसयु उदयपुर द्वारा ली गई।अतः आरोपीगण श्री महेश कुमार मीणा पिता लक्ष्मणलाल मीणा जाति मीणा उम्र 33 वर्ष निवासी पाराई तहसील सराडा पुलिस थाना परसाद जिला सलुम्बर हाल वनरक्षक वन नाका कातरवास रेंज खैरवाडा जिला उदयपुर एवं श्री विजेश कुमार अहारी पिता वरदीचन्द अहारी जाति मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी मोडीवासा तहसील नयागांव पुलिस थाना खैरवाडा जिला उदयपुर हाल वरनक्षक नाका कातरवास रेंज खैरवाडा जिला उदयपुर व अन्य के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बीएनएस के तहत कता की जाकर इस पत्र के साथ संलग्न वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।भवदीय,(राजेन्द्र सिंह)पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,डूंगरपुर............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1. श्री महेश कुमार मीणा पिता लक्ष्मणलाल मीणा जाति मीणा उम्र 33 वर्ष निवासी पाराई तहसील सराडा पुलिस थाना परसाद जिला सलुम्बर हाल वनरक्षक वन नाका कातरवास रेंज खैरवाडा जिला उदयपुर 2. श्री विजेश कुमार अहारी पिता वरदीचन्द अहारी जाति मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी मोडीवासा तहसील नयागांव पुलिस थाना खैरवाडा जिला उदयपुर हाल वरनक्षक नाका कातरवास रेंज खैरवाडा जिला उदयपुर व अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री हरिशचन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, चित्तौडगढ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 53 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1827-30 दिनांक 05.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- उप वन संरक्षक, उदयपुर 3- उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** HARISHCHANDRA SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)।

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb Impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: [illegible]/2025 [illegible]

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms) (कद(से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1992				
2	Male	1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)